न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 241/2022 निर्णय दिनांक 05.01.2023

जीसीएमएस ऑनलाईन नंबर 2022/351

भंवरलाल पुत्र गंगुनाथ जाति सिद्ध निवासी बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

उपस्थितिः–

1. श्री मोहननाथ सिद्ध अभिभाषक प्रार्थी
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी का संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 149 तादादी 6.9600 हैक्टेयर बारानी रोही गजपुरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/3 हिस्सा अनुसार कब्जा, उपयोग व उपभोग व काश्त चली आ रही है। प्रार्थी का नाम भंवरलाल पुत्र गंगुनाथ जाति सिद्ध निवासी बेनीसर है तथा प्रार्थी का जन्म से ही भंवरलाल नाम है व इसी नाम से प्रार्थी का राशन–कार्ड में नाम अंकित है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान–पत्र, आधार कार्ड में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम भंवरलाल पुत्र गंगूनाथ जाति सिद्ध निवासी बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ अंकित है। प्रार्थी को गांव, रिश्तेदारी, जान–पहचान मित्रगण सभी जगह भंवरलाल के नाम से ही जाना व पुकारा जाता है। वादगत खेतों के अलावा प्रार्थी के दो अन्य खेत खसरा नम्बर 38 तादादी 5.65000 हैक्टेयर रोही ग्राम दुसारणा पिपासरिया व खसरा नम्बर 276 तादादी 10.2100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 671/158 तादादी 1.6800 हैक्टेयर, 331 तादादी 11.3600 हैक्टेयर रोही ग्राम बेनीसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में प्रार्थी का सही व वास्तविक नाम भंवरलाल अंकित है। लेकिन पटवारी हल्का ने विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय सही नाम बताने के बावजूद भी प्रार्थी का नाम भंवरलाल की जगह गलत भंवरनाथ अंकित कर दिया। वादगत खसरा भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा पर कब्जा काश्त व उपयोग, उपभोग में चला आ रहा है प्रार्थी वादगत खसरा की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अपना सही नाम भंवरलाल पुत्र गंगूनाथ जाति सिद्ध अंकित करवाने का कानूनन अधिकारी है। वादगत भूमि में प्रार्थी का गलत नाम भंवरनाथ अंकित होने के कारण प्रार्थी को वादगत खसरा भूमि पर केसीसी बनाने ट्यूबवेल बनाने व अन्य कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वादगत खसरा भूमि में प्रार्थी का नाम पहले सम्वत 2057 में रोही ग्राम गजपूरा की खातोनी संख्या नया 73 पुराना 64 में प्रार्थी का नाम भंवरलाल अंकित था। जो तत्पश्चात सम्वत 2061–2064 की जमाबन्दी में राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गलत अंकित कर दिया गया है इस बाबत प्रार्थी ने दिनांक 18.12.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 से निवेदन किया कि मेरा नाम भंवरलाल है मेरा नाम विरास्तन इंतकाल दर्ज करते समय वंश वंशावली हल्का पटवारी को सही नाम बताने के बावजूद गलत रूप से भंवरनाथ अंकित कर दिया जिसे शुद्धिकरण कर मेरा सही नाम भंवरलाल अंकित कर देवें तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को कहा कि आप सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आओ बिना आदेश के राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम रिकॉर्ड में शुद्धिकरण करना सम्भव नहीं है इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थी के नाम की शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इनकार कर दिया। राजस्व रिकॉर्ड उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा जबकि इसके विपरीत सही नाम नहीं होने से प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। वादगत भूमि ग्राम गजपूरा तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.02 11:16:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना–पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र पूर्ण कोर्ट फीस व अवधि के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खेत खसरा नम्बर 149 तादादी 6.9600 हैक्टेयर बारानी रोही गजपूरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का गलत नाम भंवरनाथ अंकित हुआ है उसकी जगह भंवरलाल अंकित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को दिया जावे। और उसकी पालना अप्रार्थी संख्या 1 से करवाई जावे।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकारराज ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षेप में स्टेट को प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में आपति नहीं होने व प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 149 तादादी 6.9600 हैक्टेयर बारानी रोही गजपूरा तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का अशुद्ध नाम भंवरनाथ के स्थान पर शुद्ध नाम भंवरलाल अंकित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तद्नुसार पालना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 05.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तरा हो।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2023.02.02 11:16:04 IST
Reason: SelfAttested